न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी–श्री जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 122/2024

प्रार्थीगण

1. अणदाराम पुत्र दलाराम
2. अणछी पत्नि दलाराम
3. कवराराम पुत्र दलाराम
4. दीपाराम पुत्र दलाराम
5. कालूराम पुत्र शेराराम
6. भोमाराम दत्तक पुत्र मुकनाराम
7. मुकनाराम पुत्र शिवजीराम

जातियान जाट निवासी जशनाथ नगर तहसील सिणधरी जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थीगण

1. बाबूराम पुत्र आसूराम
2. केसाराम पुत्र आसूराम
3. चिमनाराम पुत्र आसूराम
4. धरमाराम पुत्र आसूराम
5. प्रभूराम पुत्र हरचन्दराम
6. अखूदेवी पत्नि हरचन्दराम
7. रावताराम पुत्र सोनाराम
8. केहराराम पुत्र भूराराम
9. खेताराम पुत्र भैराराम
10. देदाराम पुत्र सोनाराम
11. देवाराम पुत्र भूराराम
12. धनाराम पुत्र सोनाराम
13. प्रभुराम पुत्र भूराराम
14. वरजू पत्नि भैराराम
15. हड़ुमानराम पुत्र सोनाराम
16. इमियोदेवी पत्नि नवलाराम
17. खेमाराम पुत्र रतनाराम
18. चेतन चौधरी पुत्र नवलाराम
19. पूनमाराम पुत्र जेहाराम
20. मीरों पत्नि रतनाराम
21. राणाराम पुत्र रतनाराम
22. लुम्बाराम पुत्र रतनाराम
23. हड़ुमानराम पुत्र जेहाराम
24. गिरधारीराम पुत्र पूनमाराम
25. नेनाराम पुत्र पूनमाराम
26. बाबूराम पुत्र पूनमाराम
27. भंवराराम पुत्र पूनमाराम
28. रावताराम पुत्र सोनाराम
29. शंकराराम पुत्र पूनमाराम
30. [illegible]दवी पत्नि विशनाराम
31. र[illegible]ी पुत्री चेनाराम
32. [illegible]राम पुत्र विशनाराम
33. [illegible] पुत्र विशनाराम
34. [illegible]राम पुत्र दलाराम
35. धर्माराम पुत्र सोनाराम

जातियान जाट निवासी जशनाथ नगर तहसील सिणधरी जिला बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.12.22 16:20:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

36. सरपंच, ग्राम पंचायत बिलासर, पंचायत समिति सिणधरी
37. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 (वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति–

1. श्री रामजीवन विश्नोई अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. विप्रार्थी एकतरफा।

आदेश

दिनांक –25.09.2024

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण का खेत तहसील सिणधरी पटवार मण्डल कमठाई ग्राम जशनाथ नगर के खेत खसरा संख्या 14, 26, 273/10 रकबा क्रमश 8.2761 हैक्टेयर, 1.6908 हैक्टेयर, 3.8913 हैक्टेयर कुल रकबा 13.8582 हैक्टेयर खातेदारी का अवस्थित है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा खेत मौजा तहसील सिणधरी पटवार मण्डल कमठाई ग्राम जशनाथ नगर के खेत खसरा संख्या 14, 26, 273/10 रकबा क्रमश 8.2761 हैक्टेयर, 1.6908 हैक्टेयर, 3.8913 हैक्टेयर कुल रकबा 13.8582 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थीगण का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.12.22 16:20:50 IST
Reason: SelfAttested

3. वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थीगण के खेत तहसील सिणधरी पटवार मण्डल कमठाई ग्राम जशनाथ नगर में खेत खसरा संख्या 14, 26, 273/10 रकबा क्रमश 8.2761 हैक्टेयर, 1.6908 हैक्टेयर, 3.8913 हैक्टेयर कुल रकबा 13.8582 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

प्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की बाडे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा तहसील सिणधरी पटवार मण्डल कमठाई ग्राम जशनाथ नगर के खेत खसरा संख्या 14, 26, 273/10 रकबा क्रमश 8.2761 हैक्टेयर, 1.6908 हैक्टेयर, 3.8913 हैक्टेयर कुल रकबा 13.8582 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

4.हमने वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया मौजा जशनाथ नगर के खेत खसरा संख्या 14, 26, 273/10 रकबा क्रमश 8.2761 हैक्टेयर, 1.6908 हैक्टेयर, 3.8913 हैक्टेयर कुल रकबा ,13.8582 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत 2076–2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है,इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डड सहखातेदार है,और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसके प्रार्थीगण हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए है,इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती,तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करतें। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार योग्य है।

5. लिहाजा, प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया कि तहसील सिणधरी पटवार मण्डल कमठाई ग्राम जशनाथ नगर के खेत खसरा संख्या 14, 26, 273/10 रकबा क्रमश 8.2761 हैक्टेयर, 1.6908 हैक्टेयर, 3.8913 हैक्टेयर कुल रकबा 13.8582 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की [illegible] शनर फीस 1000/प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल [illegible]।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.12.22 16:20:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 25.09.2024 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी